Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

दहेज के लिए महिला की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी कपिल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व 15,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में अभियुक्त कपिल पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा दहेज के लिए महिला की हत्या करने का प्रयास करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में महिला थाना पर मु0अ0सं0 148/16 धारा 498ए/323/504/307 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेद अधिनियम पंजीकृत किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-05 जनपद बागपत द्वारा दोषी पाते हुए अभियुक्त कपिल को 03 वर्ष का कारावास व 15,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक-29.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 406/2024 धारा 457/380 भादवि व मु0अ0सं0 407/24 धारा 457/380 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक बैटरी व लोहे की 04 एंगल बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनाँक-10.05.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी राहुल कुमार पुत्र सुभाष कुमार निवासी सिटी प्लाजा कस्बा बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के पशु भण्डार की दीवार तोडकर 10 टायरा गाडी की बैटरी, एक छोटे हाथी की बैटरी, 01 कैमरा व 4700 रूपये चोरी कर लिये है इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 406/2024 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया।

2-दिनाँक-10.05.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी आरिफ अली पुत्र यासीन निवासी हमीदाबाद नया गांव थाना बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की दुकान में पीछे से कुंबल लगाकर दुकान में रखे लोहे के सामान को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 407/24 धारा 457/380 पंजीकृत किया गया।

नोटः- दोनों मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 406/2024 धारा 457/380 भादवि व मु0अ0सं0 407/24 धारा 457/380 भादवि में वाछिंत अभियुक्त विक्रान्त उर्फ करतार उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक बैटरी व लोहे की 04 एंगल बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विक्रान्त उर्फ करतार उर्फ छोटू पुत्र धर्मवीर निवासी गौरीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण--

- एक बैट्री । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 406/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत)
- लोहे की 04 एंगल । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 407/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-है0का0 214 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-का0 369 विशाल पवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।